

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

आदेश

संख्या- 12/चक0मु0-5-05/2005.....807/चक0, पटना दिनांक 17.11.2017

चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के विभिन्न उप निदेशालयों/चकबंदी कार्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के आलोक में वृत्ति उन्नयन का लाभ देने हेतु दिनांक 16.11.2017 को आहुत प्रोन्नति-सह-स्त्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सामने कॉलम 5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि एवं वेतनमान/ग्रेड पे में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत 12, 24 एवं 10, 20, 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

प्रारूपक							
क्र०	नाम, पदनाम (जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति तिथि)	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि/सेवा सम्पुष्टि की तिथि	देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० (तिथि एवं विवरण)			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री कृष्ण कान्त झा, सेवानिवृत्त प्रारूपक (10.03.1951/31.03.2011)	उप निदेशक, चकबंदी, वैशाली	12.11.1971/ 24.01.1986	-	-	01.01.2009 (9300-34800/ 4600)	
2	श्री मो० रहमान, सेवानिवृत्त प्रारूपक (03.07.1952/31.07.2012)	चकबंदी कार्यालय, सुपौल	30.01.1973/ 03.10.1983	-	-	01.01.2009 (9300-34800/ 4600)	
3	श्री यासुदेव सिंह, सेवानिवृत्त प्रारूपक (01.07.1949/30.06.2009)	सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर	22.12.1973/ 01.04.1984	-	-	01.01.2009 (9300-34800/ 4600)	
4	श्री शत्रुघ्न बड़ही, सेवानिवृत्त प्रारूपक (14.03.1951/31.03.2011)	चकबंदी कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	08.09.1972/ 31.03.1992	-	-	01.01.2009 (9300-34800/ 4600)	
5	श्री राधाकृष्ण राय, सेवानिवृत्त प्रारूपक (02.01.1950/31.01.2010)	चकबंदी कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	29.03.1973/ 31.10.1983	-	-	01.01.2009 (9300-34800/ 4600)	
6	श्री मो० शफीक, सेवानिवृत्त प्रारूपक (09.05.1951/31.05.2011)	चकबंदी कार्यालय, राघोपुर, सुपौल	27.02.1973/ 27.02.1983	-	-	01.01.2009 (9300-34800/ 4600)	
मोहररि							
7	श्री मो० अब्दुल रशीद खाँ, से०नि० मोहररि (05.07.1948/31.07.2008)	चकबंदी कार्यालय, तरारी, भोजपुर	03.02.1973/ 01.04.1987	09.08.1999 (4500-7000)	09.08.1999 (5000-8000)	-	
कार्यालय परिचारी/कड़ीपाल							
8	स्व० मनोज कुमार पासवान, अनुसंधक (03.02.1976/24.12.2013) मृत	चकबंदी कार्यालय, शाहपुर, भोजपुर	24.04.1995/ 26.04.2005	26.04.2007 (5200-20200 /1800)	-	-	

- (2) किसी भी समय यह पाया जायेगा कि वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी।

- (3) सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है। कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रभावित नहीं होगी।
- (4) प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।


17/11/17
(नवल किशोर)

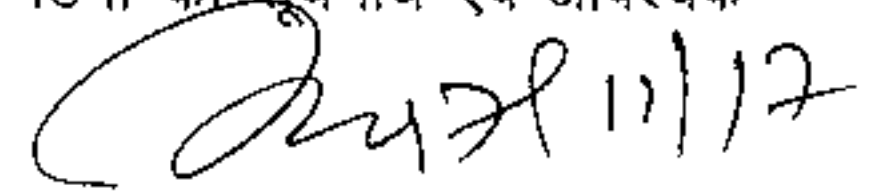
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-12/चक०मु०-5-05/2005-807/चक० पटना, दिनांक 17.11.17
प्रतिलिपि - उप निदेशक, चकबंदी, वैशाली/भोजपुर/सहरसा/सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर/चकबंदी पदाधिकारी, राघोपुर (सुपौल)/सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)/तरारी (भोजपुर)/शाहपुर (भोजपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/11/17
(नवल किशोर)

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-12/चक०मु०-5-05/2005-807/चक० पटना, दिनांक 17.11.17
प्रतिलिपि - सभी संबंधित सहायक/लेखा शाखा, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/11/17

(नवल किशोर)
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।